रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102025-266617 CG-DL-E-03102025-266617

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 649]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2025/आश्विन 9, 1947 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2025/ASVINA 9, 1947

No. 649]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

सा.का.िन.733(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पिठत धारा 125 की उप-धारा (1), उप-धारा (2), उप-धारा (3), उप-धारा (4), उप-धारा (8), उप-धारा (9), उप-धारा (10) और उप-धारा (11) और धारा 124 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरिक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरिक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) संशोधन नियम, 2025 है।
 - (2) ये 6 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होंगे।
- 2. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरिक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के प्ररूप सं. आईईपीएफ-5 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

6622 GI/2025 (1)



"प्ररूप सं. आईईपीएफ-5

प्ररूप की भाषा

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि से असंदत्त राशि और शेयरों का दावा करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन अंग्रेज़ी



हिंदी

ांतर प्राावकरण का जावदर्ग [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 (3) और विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण

भारत सरकार (लेखा, संपरिक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट देखें * में चिह्नित सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं 0 🔾 नहीं 1. कंपनी या बैंक द्वारा जारी हकदारी पत्र हां यदि फील्ड संख्या 1 में 'हाँ' का चयन किया जाता है। अधिकतम 2 एमबी फ़ाइल चुनें डाउनलोड करें हटाएं हकदारी पत्र की प्रति 🔾 स्वयं 🔾 प्राधिकृत प्रतिनिधि 2. किसके दावा द्वारा फ़ाइल किया जाना है यदि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में फ़ाइल करना अधिकतम 2 एमबी फ़ाइल चुनें डाउनलोड करें हटाएं प्राधिकृत पत्र की हस्ताक्षरित प्रति 3. आवेदक का विवरण आवेदक की विशिष्टियां 3 (क) *आवेदक की श्रेणी 🔾 इकाई व्यक्तिक व्यक्तिक का विवरण (ख) प्रथम नाम (ग) मध्य नाम (घ) अंतिम नाम (ङ) पिता का प्रथम नाम (च) पिता का मध्य नाम (छ) पिता का अंतिम नाम (ज) *जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) इकाई का विवरण (झ) इकाई का प्रकार (कंपनी/एलएलपी/विदेशी कंपनी/विदेशी एलएलपी/एचयूएफ/एकमात्र स्वामित्व/साझेदारी/अन्य)

(ञ) *सीआईएन/एफसीआरएन/एलएलपीआईएन/एफएलपीआईएन/रजिस्ट्रीकरण सं।

(ट) *इकाई का नाम

•	_		\sim	
कंपन	Π	′बक	ाव	वरण

4 ∗कंपनी/बैंक, जिससे रकम देय है, की विशिष्टियां				
(क) *कंपनी की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) /वैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)				
(ख) *कंपनी/बैंक का नाम				
(ग) *कंपनी /बैंक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता				
(घ) *कंपनी /बैंक की ईमेल आईडी				
5 (क) *क्या यह आईईपीएफ़ नियम, 2016 के नियम 7 (है।	8) और नियम 7 (9) के	अधीन अंतरणः हाँ 🔘		त मामला
(ख) मूल प्रतिभूति धारक का नाम				
(ग) प्रतिभूति धारक के साथ दावेदार का संबंध				
(घ) नामनिर्देशिती/विधिक वारिस/उत्तराधिकारी/प्रशासक/	′अन्य धारकों की संख्या			
(ङ) लाभार्थी का नाम				
(च) दावेदार द्वारा सत्यापित मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड
(छ) उत्तराधिकार प्रमाण पत्र / प्रोबेट / वसीयत	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड
(ज) अन्य धारक से अनापत्ति प्रमाण पत्र	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड
(झ) क्षतिपूर्ति बांड और ज़मानत शपथ पत्र	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड
(ञ) नियमों के अधीन अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड
दावे का विवरण				
6. *दावे का प्रकार 🔘 शेय	र 🔾 रकम 🔾 रव	कम और शेयर		
7. दावा किए गए शेयरों का विवरण (एक कंपनी/बैंक के लि	पए एक से अधिक फोलियो ं	जोड़े जा सकते	हैं।	
(क) फोलियो की संख्या		अधिकतम 1		

8.	_	धारण का प्रकार (वास्तविक/डीमैट) ति रकम का विवरण ावों की संख्या	V	आईईपीए किया गय पूरा डीमैं जिसमें से	सं. जिससे फ को ट्रांसफर ा है ट खाता संख्या आईईपीएफ में केया गया है	शेयर का प्रव (इक्विटी/अि ▼	<u> </u>	प्रविष्टियाँ
	(ग) (ख)	उन प्रतिभूतियों/जमाराशियों का	वर्ष-	वार ब्यौरा	जिनके लिए रकम	ंका दावा व <u>ि</u>	 hया गया है	
	सं .	दावे का प्रकार (असंदत्त लाभांश/प्रतिदाय के लिए देय आवेदन रकम /परिपक्व जमाराशि/परिपक्व ऋणपत्र/अन्य।	प्रका	स्तविक	फोलियो सं. जिससे आईईपीएफ को ट्रांसफर किया गया है पूरा डीमैट खाता संख्या जिसमें से आईईपीएफ में अंतरण किया	दावे की रकम	वित्तीय वर्ष जिससे दावा संबंधित है (वर्ष-वर्ष)	संदाय के लिखत की गैर- प्राप्ति/गैर- नकदीकरण का कारण
-								
	कुल 9. *निक्षेपागार का नाम O एनएसडीएल O सीडीएसएल क. * डीमैट खाता संख्या जिसमें शेयर कंपनी / बैंक द्वारा जमा किए जाने हैं							
()	'उपयोग	गकर्ता को डीपीआईडी और क्लाइंट अ	॥ईडी	दोनों के साथ	। सक्रिय डीमैट संख्य	ा प्रविष्ट करनी	है)	मान्य करें
ख.	(क)	खाते का विवरण जिसमें रकम जमा बैंक खाता संख्या बैंक का नाम	की जा	ाएगी (पहले	से भरी हुई)			
		आईएफएससी कोड एमआईसीआर कोड						

संलग्नक				
(क) *दावेदार के डी-मैट खाते की ग्राहक मास्टर सूची/डीमैट धारण के लिए लेन-देन विवरण	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड
(ख) *प्रतिभूति प्रमाणपत्र जैसे बांड/डिबेंचर/सावधि जमा रसीदें/शेयर प्रमाणपत्र/ब्याज वारंट/लाभांश वारंट, आवेदन	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड
संख्या / नियमों के अनुसार मूल शेयर प्रमाणपत्रों के खो जाने पर लेखें विवरण आदि)	नदन दस्तावजा का			
(ग) *बैंक चेक प्रतिलिपि	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड
(घ) वैकल्पिक संलग्नक–यदि कोई हो	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड
हकाई के प्राधिकृत प्र ☐ मैं घोषणा करता / करती हूं कि मैं <इकाई नाम> द्वारा कि इस प्ररूप को भरने और हस्ताक्षर करने और यह घोषणा क	तिनिधि द्वारा घोषणा रने के लिए कि इस प्र	* के संकल्प / प्राधि प्ररूप की विषय-वर		
मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन	बनाए गए नियमों की	सभी आवश्यकताओं	ं को संकलि	त किया गय
है, तारीख	के लिए कहा गया है।	मैं आगे घोषणा व	_{फरता ∕ करती}	हूं कि:
इस रूप में और उसके संलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सह सभी आवश्यक संलग्नकों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप के स	-		[·] छिपाई नहीं	गई है।
व्यक्तिक के प्राधिकृत !	प्रतिनिधि द्वारा घोषणा			
🗌 मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मुझे इस प्ररूप को फ़ाइल	करने के उद्देश्य से *	प्राधिकरण संख्या	प्राधिकरण सं	ř. *
दिन / माह / वर्ष < व्यक्तिक का नाम >	द्वारा सम्यक रूप	। से नियुक्त किया	ंगया है।	 यह प्रमाणित
किया जाता है कि मैंने इस प्ररूप की विषय–वस्तु और उसके	— आनुषंगिक मामलों के	लिए कंपनी अधिनि	यम, 201	3 और उसवे
अधीन नियमों के उपबंधों का अध्ययन किया है। मैं आगे घोषणा	करता / करती हूँ कि :			
इस रूप में और उसके संलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सह गई है। सभी आवश्यक संलग्नकों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप के स			ी दबाई या ^{हि}	छेपाई नहीं
प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम	[
प्राधिकृत प्रतिनिधि का पदनाम / वृत्तिक अर्हता योग्यता				
पाधिकत प्रतिनिधि की सदस्यता /डीआईएन संख्या /पैन संख्या	,			

दावेदार द्वारा घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं और उनके प्रासंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप के संलग्नक सहित यहां दी गई सभी जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई है।

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने इस कंपनी /बैंक के लिए पहले किसी भी अवसर पर उसी फोलियो और /या रकम और /या वित्तीय वर्ष के अंतर्गत दावा किए गए शेयरों और /या रकम का दावा नहीं किया है / नहीं करूंगा।

- □ * मैं समझता / समझती हूँ कि मैं, दावेदार / प्राधिकृत प्रतिनिधि हूँ, इस प्ररूप में ऑनलाइन प्रतिदाय दावा फ़ाइल करने के बाद, नीचे निर्धारित संलग्नक कंपनी / बैंक के नोडल अधिकारी (आईईपीएफ) को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में "आईईपीएफ प्राधिकरण से प्रतिदाय के लिए दावा कों" लिफाफे पर लिख कर भेज दुंगा / दुंगी ताकि दावे के लिए सत्यापन प्रक्रिया शुरू किया जा सके।
 - 1 दावेदार हस्ताक्षर के साथ सम्यक रूप से भरे हुए दावे के प्ररूप का प्रिंट आउट
 - 2 पावती मेल की प्रति
 - 3 क्षतिपूर्ति बांड (मूल) दावेदार हस्ताक्षर के साथ
 - 4 परिपक्क जमा या डिबेंचर के प्रतिदाय के मामले में, मूल प्रमाण पत्र
 - 5 आधार कार्ड की प्रति
 - 6 हकदारी का प्रमाण (शेयर का प्रमाण पत्र/ब्याज वारंट आवेदन संख्या आदि)
 - 7 निरस्त की हुई चेक लीफ
 - 8 विदेशियों और एनआरआई के मामले में पासपोर्ट, ओसीआई और पीआई कार्ड की प्रति
 - 9 प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दायर किया गया है तो प्राधिकृत पत्र की हस्ताक्षरित प्रति
 - 10 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज़, (यदि कोई हो)

सेव

प्रस्तुत करें

ई-साइन

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कहा गया है कि:-"इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबंध के प्रयोजनों, द्वारा या के लिए, किसी विवरणी, रिपोर्ट, प्रमाण पत्र, वित्तीय विवरण, विवरणिका, कथन या अन्य दस्तावेज में, कोई व्यक्ति कथन करता है, -

- (क) जो किसी भी महत्वपूर्ण विशिष्टियों को गलत जानते हुए भी गलत बताता है; या
- (ख) जो किसी महत्वपूर्ण तथ्य को यह जानते हुए कि वह महत्वपूर्ण है, का लोप करना हैं, तो वह धारा 447 के अधीन उत्तरदायी होगा।

•		_	_	\sim
कवल	कार्यालय	उपयाग	क	ालए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-फार्म फ़ाइल करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

[फा.सं. 05/04/2020-आईईपीएफ] अनीता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

मल नियम भारत के राजपत्र. असाधारण. भाग II, खंड 3 उप-धारा (i) में संख्या सा.का.नि. 854 (अ), तारीख 5 टिप्पण: सितम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2017, सा.का.नि. 1267 (अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017, सा.का.नि. 472 (अ), तारीख 22 मई, 2018, सा.का.नि. 343(अ), तारीख 1 मई, 2019, सा.का.नि. 571(अ), तारीख 14 अगस्त, 2019, सा.का.नि. 396(अ), तारीख 09 जुन, 2021, सा.का.नि. 785(अ), तारीख 09 नवम्बर, 2021, सा.का.नि. 791(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2021, सा.का.नि. 888(अ), तारीख 28 दिसम्बर, 2021, सा.का.नि. 414(अ), तारीख 16 जुलाई, 2024 और सा.का.नि. 552(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2024 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2025

G.S.R. 733(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125 and sub-section (6) of section 124 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, namely:-

- These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2025.
 - They shall come into force with effect from 6th October, 2025. (2)
- In the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, for the Form No. IEPF-5, the following Form shall be substituted, namely:-



"Form No. IEPF-5

Form language

Application to the Authority for claiming unpaid amounts and shares out

English Hindi

of Investor Education and Protection Fund

[Pursuant to Section 125 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016]

Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in * are mandatory

1. Entitlement Letter issued by Company/Bank		O Yes	\bigcirc_{N_0}
If ' Yes' is selected in field no. 1 Copy of an Entitlement Letter	Max 2 MB	Choose File	Remove Download
2. Claim is to be filed by		O Self O Autho	orised Representative
If filing as Authorised Representative Signed copy of Authority Letter	Max 2 MB	Choose File	Remove Download

3. Applicant details

Particulars of the applicant		
3 (a) *Category of Applicant	O Individual	Entity
Individual's details		
(b) First Name		
(c) Middle Name		
(d) Last Name		
(e) Father's First Name		
(f) Father's Middle Name		
(g) Father's Last name		
(h) *Date of Birth (DD/MM/YYYY)		
Entity details		
(i) Type of the Entity (Company/LLP/Foreign Company/Foreign LLP/HUF/Sole Proprietorship/Partnership/Othe	ers)	▼
(j) *CIN / FCRN / LLPIN / FLLPIN / Registration No.		
(k) *Name of Entity		
(l) *Date of Incorporation (DD/MM/YYYY)		
Contact Details of Applicant		
(m) * Address of the Claimant		
*Address Line 1		
Address Line 2		
*Country		▼
*Pin Code/Zip Code		
*Area/Locality		
*City		
District		
*State/UT		
(n) Phone number		

(o) *Mobile Number (with Country code)	
	Send OTP Re-send OTP
(p) *Enter OTP for Mobile Number	Verify OTP
(q) *E-mail ID	
(q) I man ID	Send OTP Re-send OTP
(r) *Enter OTP for E-mail ID	Verify OTP
(s) Aadhaar Number	
(s)(i)*Aadhaar Card of the claimant and if joint holders are there, copy of Aadhaar card of all joint holders	Max 2 MB Choose Remov Download
(t) Passport, OCI and PIO card number in case of foreigners an	nd NRI
(t)(i) *Copy Passport, OCI and PIO card in case of foreigners and NRI	Max 2 MB Choose Remove Download
(u) *PAN of the applicant	Verify
Company/Bank details	
4 *Particulars of the company/bank from which the amount	t is due
(a) *Corporate Identity number (CIN) of company / Bank Corporate Identification number (BCIN)	
(b) *Name of the company/bank	
(c) *Address of the registered office of the company/bank	
(d) *Email ID of the company/bank	
5 (a) *Is it a case of transfer or transmission under rule 7 (8) & 7	7(9) of IEPF Rules, 2016 Yes O No O
(b) Name of original security holder	
(c) Relation of claimant with security holder	
(d) Number of Nominee/Legal heirs/Successors/ Administrat	or/ Others holders
(e) Name of Beneficiary	
(f) Copy of death certificate attested by Claimant	Choose Remove Download

` /	Type of claim (Unpaid dividend/ Application money due for refund/ Matured deposits/ Matured debentures/ Others	_	Folio No. from which transfer has been made to IEPF Complete Demat	Amount of the claim	Financial year to which claim relates (YYYY- YYYY)	Reason for non-receipt/non-encashment of the instrument of payment	
	s of amount claimed				May 15 Entrie	s	
		Total					
S.No.	Type of Holding (Physical / Demat)	trans made Com accor from	No. from which fer has been to IEPF plete Demat int number which transfer teen made to	Type of Sh (Equity / P		Number of shares	
	s of shares claimed (More the	nan one Folio	for one company/	bank can be	added Max. 15 Entr	ries	
б. *Т	'ype of Claim		O Shares	O Am	nount O A	Amount and Shares	
Details o	of the Claim						
(j) A	any other document required u	nder rules	Max 2 MB		Choose	Remove	
(i) Ir) Indemnity Bond and surety affidavit		Max 2 MB	Max 2 MB		Remove Dow	
(h) N	Io Objection Certificate from o	Max 2 MB		Choose	Remove		

IEPF

Total

lacksquare

भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग II—खण्ड 3(i)]

11

9. *Name of Depository	O _{NSDL}	Ocdsl		
A. * Demat account number in which	shares to be credited	by company/bank		
(*User has to enter active demat no. w	ith both DPID and C	LIENT ID)	Г	X7-1: 1-4-
B. Details of Bank account in which	h amount chall he c	redited (prefilled)	L	Validate
(a) Bank account number	n amount shan be c	reuneu (premieu)		
(b) Bank Name				
(c) IFSC Code				
(d) MICR Code				
Attachments				
(a) *Client Master List of De-mat A/ Transaction statement for demat hol		Max 2 MB	Choose	Remove
(b) *Securities Certificate such as Bonds/Debentures/Fixed Deposit rec share/Interest warrant/Dividend war transaction documents for loss of ori	rant, Application No		Choose	Remove Download
(c) *Bank cheque copy		Max 2 MB	Cl	
1 17		Max 2 Mb	Choose	Remove Download
(d) Optional Attachments-If any		Max 2 MB	Choose File	Remove Download
<u>Declarat</u>	ion by the Authoris	ed Representative o	of Entity	
☐ I declare that I am authorized by the	<entity name=""></entity>	vide *resolutio	n/authorization Numb	per *
dated <dd mm="" yyyy=""></dd>	to fill and sign thi	 s form and declare t	hat all the requiremen	nts of Companies
Act, 2013 and the rules made thereund	eler in respect of the	subject matter of th	is form and matters i	ncidental thereto
have been compiled with. I further decl	are that:			
Whatever is stated in this form and in the been suppressed or concealed. All the required attachments have been			_	ormation has
<u>Declaration</u>	n by the Authorised	Representative of	<u>Individual</u>	
☐ I declare that I have been duly enga	ged by 	al Name> vide *a	authorization number	Authorization No.
*dated <dd mm="" yyyy=""> have gone through the provisions of the and matters incidental thereto. I further</dd>	Companies Act, 20		this form. It is hereby	

Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information has been suppressed or concealed.

All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

Name of the Authorised Representative	
Designation/Professional Qualification of the Authorised Representative	
Membership/DIN No /PAN No of the Authorised Representative	

Declaration by Claimant

I declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I further declare that all the information given herein including the attachments to this form is true, correct and complete and nothing material has been concealed.

I declare that I have not claimed/ will not claim, the shares and/or amount claimed under the same folio and/or for same financial

year on any earlier occasion for this company/bank.

- * I understand that I, am the claimant/authorised representative, after filing the refund claim in this form online, shall send the attachments prescribed below to Nodal Officer (IEPF) of the company / bank at its registered office in an envelope marked "claim for refund from IEPF Authority" for initiating the verification for claim
 - 1 Print out of duly filled claim form with claimant signature
 - 2 Copy of acknowledgement mail
 - 3 Indemnity Bond (original) with claimant signature
 - 4 In case of refund of matured deposit or debenture, original certificate thereto
 - 5 Copy of Aadhaar Card
 - 6 Proof of entitlement (certificate of share/Interest warrant Application No. etc.)
 - 7 Cancelled Cheque leaf
 - 8 Copy of Passport, OCI and PI card in case of foreigners and NRI
 - 9 Signed Copy of Authority Letter if filed by Authorised representative
 - 10 Other optional document, (if any)

Save

E-Sign

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 of Companies Act, 2013 which status that-

- "Save as otherwise provided in this Act, if in any return, report, certificate, financial statement, prospectus, statement or other document required by, or for, the purposes of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, any person makes a statement, -
- (a) which is false in any material particulars, knowing it to be false; or
- (b) which omits any material fact, knowing it to be material, he shall be liable under section 447"

For office use only:	
eForm Service request number (SRN)	
eForm filing date (DD/MM/YYYY)	
	".
	[F. No. 05/04/2020-IEPF]
A	NITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 854 (E), dated the 5th September, 2016 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 178(E) dated the 28th February, 2017, G.S.R. 1267 (E), dated the 13th October, 2017, G.S.R. 472 (E), dated the 22.05.2018, G.S.R. 343(E), dated the 1st May, 2019, G.S.R. 571(E), dated the 14th August, 2019, G.S.R. 396(E), dated the 09th June, 2021, G.S.R. 785(E), dated the 09th November, 2021, G.S.R. 791(E), dated the 12th November, 2021, G.S.R. 888(E), dated the 28th December, 2021, G.S.R. 414(E), dated the 16th July, 2024 and G.S.R. 552(E), dated the 9th September, 2024.